सत्यमेव जयते

संघ लोक सेवा आयोग

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

Citizen Charter (2021)

नागरिक चार्टर (2021)

संघ लोक सेवा आयोग
धौलपुर हाऊस, शाहजहाँ रोड,
नई दिल्ली-110069

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION
DHOLPUR HOUSE, SHAHJAHAN ROAD,
NEW DELHI – 110069

संघ लोक सेवा आयोग का नागरिक घोषणा पत्र

1. संक्षिप्त इतिहास

भारत में सुपीरियर सिविल सर्विसेज़ के संबंध में लॉर्ड ली, की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन ने सन् 1924 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश की। इसके फलस्वरुप, 1 अक्तूबर, 1926 को सर रॉस बार्कर, की अध्यक्षता में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। इस लोक सेवा आयोग को सौंपे गए सीमित परामर्शी कार्यों तथा हमारे स्वाधीनता आन्दोलन के नेताओं द्वारा इस पहलु पर निरन्तर ज़ोर दिए जाते रहने के परिणामस्वरूप, भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, की स्थापना हुई। स्वतंत्रता के पश्चात् , फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग बन गया और 26 जनवरी, 1950 को भारत के संविधान के लागू होने के साथ ही इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ ।

2. प्रस्तावना

संघ लोक सेवा आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के अन्तर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष तथा दस सदस्य हैं।

3. संघ लोक सेवा आयोग का अधिदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 और 321 के तहत् संघ लोक सेवा आयोग के अधिदेश में निम्न शामिल है:

1. प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन द्वारा भर्ती:
2. साक्षात्कारों के माध्यम से चयन द्वारा भर्ती:
3. पदोन्नति के साथ-साथ प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकारियों की उपयुक्तता के बारे में परामर्श देना।:
4. विभिन्न सेवाओं और पदों पर भर्ती पद्धति से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देना: भर्ती नियम बनाना एवं उनमें संशोधन करना:
5. विभिन्न सिविल सेवाओं से संबंधित अनुशासनिक मामले:

6. असाधारण पेंशन, कानूनी खर्चों की प्रतिपूर्ति, आदि दिए जाने संबंधी विविध मामले,

7. भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोग को संदर्भित किसी भी मामले में सरकार को परामर्श देना:

8. किसी राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर, उस राज्य की भर्ती समबन्धी सभी अथवा किसी भी आवश्कता को, राष्ट्रपति के अनुमोदन से पूरा करना।

4. भर्ती की पद्धतियां

भर्ती निम्नलिखित चार पद्धतियों में से एक पद्धति द्वारा की जाती है:

1. सीधी भर्ती
2. पदोन्नति
3. प्रतिनियुक्ति/ आमेलन; एवं
4. सम्मिलित पद्धति (प्रतिनियुक्ति + पदोन्नति)

5. सीधी भर्ती

सामान्यत: सीधी भर्ती निम्नलिखित दो पद्धतियों द्वारा की जाती है :-

1. प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भर्ती; एवं
2. चयन द्वारा भर्ती।

6. परीक्षा के माध्यम से भर्ती

आयोग विभिन्न सिविल/ रक्षा सेवाओं/ पदों पर नियुक्ति के लिए देश भर में स्थित विभिन्न केंद्रों पर नियमित आधार पर निम्नलिखित संरचित परीक्षाएं आयोजित करवाता है :-

1. सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा;
2. सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा;
3. इंजीनियरिंग सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा;
4. इंजीनियरिंग सेवा (मुख्य) परीक्षा;
5. सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा;
6. सिविल सेवा (प्रा.) परीक्षा के माध्यम से भारतीय वन सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा;
7. भारतीय वन सेवा (मुख्य) परीक्षा;

8. सम्मिलित भू-वैज्ञानिक (प्रारंभिक) परीक्षा;
9. सम्मिलित भू-वैज्ञानिक (मुख्य) परीक्षा;
10. भारतीय आर्थिक सेवा/ भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा;
11. सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा [वर्ष में दो बार आयोजित];
12. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा [वर्ष में दो बार आयोजित];
13. केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा;
14. अनुभाग अधिकारी/ आशुलिपिक (ग्रेड-ख/ग्रेड-I) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा;
15. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, असिस्टेंट कमांडेंट (कार्यकारी), सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा।

परीक्षा/ भर्ती परीक्षा कार्यक्रम का कैलेंडर, परीक्षा का नाम, अधिसूचना की तिथि, आवेदन प्राप्त होने की तिथि एवं परीक्षा शुरु होने की तिथि के साथ सामान्यतः पूर्व वर्ष के जून माह में ही देश के प्रमुख अखबारों में पहले ही प्रकाशित कर दिया जाता है और आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर भी प्रदर्शित कर दिया जाता है।

सरकार द्वारा सभी परीक्षाओं की अधिसूचनाओं को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। विस्तृत सूचना आयोग के वेबसाइट www.upsc.gov.in पर उपलब्ध करा दिया जाता है। सांकेतिक सूचना को रोजगार समाचार/ एंम्पलोयमेंट न्युज में प्रकाशित कर दिया जाता है।

7. ऑन-लाईन आवेदन

1. आयोग ने जनवरी, 2010 में अधिसूचित इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा से ऑन-लाईन आवेदन स्वीकार करने के लिए सिस्टम की शुरुआत की है।
2. आयोग ने अपने सभी परीक्षाओं के लिए विस्तृत आवेदन प्रपत्र भरने हेतु 100% ऑन-लाईन पद्धति की शुरुआत की है जो सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2011 से लागु है।
3. आयोग ने वर्ष 2012 से अपने सभी परीक्षाओं हेतु आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए 100% ऑन-लाईन पद्धति की शुरुआत की है।

4. आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् आवेदन प्रपत्र में किसी प्रकार का बदलाव नही किया जा सकता है। हालांकि,यदि अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नही होना चाहते हैं तो अंतिम तिथि तक वे अपने आवेदन वापस ले सकते हैं।

5. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपना पंजीयन एवं स्थल का विवरण आयोग की वेबसाईट पर देखने के लिए अपना आर.आई.डी. क्रमांक को सुरक्षित रखें ताकि आर.आई.डी. क्रमांक ऑन-लाईन आवेदन प्रपत्र भरने के पश्चात् प्रदान किया जाता है।

6. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले ही आवेदन करें ताकि अंतिम समय में होने वाली व्यस्तता से बच सकें।

8. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उम्मीदवारों को परीक्षाओं के विभिन्न पहलुओं के साथ-साथ उनके द्वारा की गई सामान्य गलतियों से अवगत कराने के लिए आयोग की वेबसाइट पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न अपलोड किए गए हैं।

9. महिला अभ्यर्थियों के लिए शुल्क भुगतान में छूट

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी महिला उम्मीदवारों को 05-09-2009 से आयोग की परीक्षाओं हेतु शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

10. स्क्रीनिंग परीक्षा का आरंभ

वर्ष 2013-14 के दौरान, सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के माध्यम से भारतीय वन सेवा परीक्षा के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट आरंभ किया गया था। 2017 से प्रभावी इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा और 2020 से प्रभावी भू-वैज्ञानिक परीक्षा के लिए भी स्क्रीनिंग टेस्ट आरंभ किए गए थे।

11. अवरोधक (जैमर) लगाना

जनवरी 2018 से आयोग ने मोबाईल, आईटी गैजेट या किसी भी प्रकार के संचार उपकरण आदि के उपयोग की गुंजाइश को रोकने के लिए आयोग की परीक्षा स्थलों पर कम शक्ति वाले जैमर लगाना शुरू किया है ।

12. चयन के माध्यम से भर्ती

आयोग पर केंद्र सरकार के सभी समूह 'क' पदों और चयनित समूह 'ख' पदों पर चयन के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर सीधी भर्ती की जिम्मेदारी भी है।

रिक्तियों के संबंध में सांकेतिक विज्ञापन रोजगार समाचार में प्रकाशित किए जाते हैं और विस्तृत विज्ञापन आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.inपर प्रकाशित किए जाते हैं। आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं और उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञापनों में निहित निर्देशों के अनुसार आवेदन करना अपेक्षित है।

आवेदन प्राप्त होने के बाद, उम्मीदवारों की शॉर्ट-लिस्टिंग कम्प्यूटरीकृत प्रारंभिक जांच पैकेज द्वारा की जाती है। यह सचेत रूप से तैयार किए गए तर्कसंगत मानदंडों के आधार पर किया जाता है। समानता, न्याय और निष्पक्षता इस पूरी प्रक्रिया के मापदंड हैं। मानदंड में आवश्यक और वांछनीय योग्यता के रूप में निर्धारित की तुलना में उच्च योग्यता और अनुभव को शामिल किया जा सकता है।

प्रक्रिया के समापन पर, शार्ट-लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। यदि किसी विशेष पद (पदों) के लिए बड़ी संख्या में उम्मीदवार आवेदन करते हैं या पद (पदों) के लिए निर्धारित योग्यता की प्रकृति ऐसी है कि योग्यता और / या अनुभव के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्ट-लिस्ट करना संभव नहीं है, उम्मीदवारों को शॉर्ट-लिस्ट करने के लिए एक भर्ती परीक्षा आयोजित की जा सकती है। साक्षात्कार बोर्ड की अध्यक्षता आयोग के सदस्यों द्वारा की जाती है, जिसे भर्ती किए जा रहे पद से संबंधित क्षेत्रों/विषयों के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

साक्षात्कार समाप्त हो जाने पर, साक्षात्कार-बोर्ड की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए कदम उठाए जाते हैं और आयोग द्वारा इसे अनुमोदित किए जाने के बाद, अनुशंसित उम्मीदवारों को सूचित करते हुए आयोग की सिफारिश संबंधित मंत्रालय/विभाग को भेज दी जाती है।

13. पदोन्नतियां एवं प्रतिनियुक्तियां

भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 में सिविल सेवाओं और सिविल पदों पर नियुक्ति करने और एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और स्थानांतरण करने और ऐसी नियुक्तियों, पदोन्नति या स्थानांतरण के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता संबंधी सिद्धांतों पर आयोग के साथ परामर्श करने का प्रावधान है।

संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, आयोग केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न सिविल सेवाओं और पदों के लिए पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति [अल्पकालिक अनुबंध (आईएसटीसी) सहित]/ आमेलन संबंधी कार्य करता है। अनुच्छेद 321 के प्रावधानों के अनुसार, आयोग के कार्यों को,स्थानीय प्राधिकरणों, निगमित निकायों या सार्वजनिक संस्थानों/जहां प्रासंगिक अधिनियमों में उनके लिए प्रावधान हैं के पदों पर पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/ आमेलन के संबंध में भी विस्तारित किया गया है।

इसके अलावा, डीपीसी और एससीएम (पीटी) का संचालन सांविधिक भर्ती नियम द्वारा यथा निर्धारित और का.एवं प्र.वि. द्वारा इस विषय पर जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

14. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति

पदोन्नति के लिए, भर्ती नियमों में डीपीसी की संरचना का उल्लेख किया गया है और निर्धारित संरचना में किसी भी सदस्य के प्रतिस्थापन की अनुमति नहीं है।

डीपीसी बैठक आयोजित करने के लिए किसी भी मंत्रालय/विभाग का प्रस्ताव विभागीय प्रतिनिधियों द्वारा पूर्व एप्वांइटमेंट के साथ सिंगल विंडो सिस्टम (एसडब्ल्यूएस) के तहत संवीक्षा के लिए लाया जाना चाहिए ।

डीपीसी प्रस्ताव के साथ सतर्कता मंजूरी तथा सभी पात्र अधिकारियों के संबंध में पिछले दस वर्षों के दौरान अधिकारी पर लगाए गए बड़े/छोटे दंड का विवरण भी होना चाहिए। एकल खिड़की प्रणाली के तहत आयोग को पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

जो प्रस्ताव पूर्ण और सही पाए जाते हैं, उन्हें डीपीसी की अध्यक्षता करने के लिए एक सदस्य के नामांकन हेतु माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाता है। नियुक्ति शाखा द्वारा सालाना लगभग 500 डीपीसी आयोजित किए जाते हैं।

15. प्रतिनियुक्ति / प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) / आमेलन

कई पदों के लिए भर्ती नियमों में प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) और आमेलन द्वारा नियुक्ति का प्रावधान है।जब स्रोत क्षेत्र केवल केंद्र/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों तक ही सीमित हो, तो इसे प्रतिनियुक्ति कहा जाता है। और जब स्रोत क्षेत्र को व्यापक बनाया जाता है और केंद्र/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों के अलावा, वैधानिक निकायों, स्वायत्त संगठनों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और सार्वजनिक उपक्रमों, आदि के अधिकारी भी शामिल होते हैं, तो इसे प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) कहा जाता है। दोनों ही मामलों में, चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाना है। लागू भर्ती नियमों के प्रावधान के अनुसार, आमेलन के मामले में भी आयोग का परामर्श आवश्यक है।

16. अखिल भारतीय सेवाएँ

आयोग को संबंधित भा.प्र.से./ भा.पु.से./ भा.वन.से./ प्रोन्नति विनियम के अनुसार आयोग के अध्यक्ष या इसके सदस्य की अध्यक्षता वाली चयन समिति के माध्यम से राज्य सेवा (राज्य सिविल/ पुलिस/ वन सेवा) से अखिल भारतीय सेवा में प्रोन्नति करने और भा.प्र.से. (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 के अधीन भा.प्र.से. में नियुक्ति करने के लिए गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के चयन करने का दायित्व भी सौंपा गया है।

17. राज्य के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति हेतु पैनल

श्री प्रकाश सिंह और अन्य द्वारा दायर रिट याचिका (सिविल) संख्या 310/1996 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 03.07.2018 के निर्देश के अनुसरण में सं.लो.से.आ. द्वारा इस उद्देश्य के लिए पैनल में शामिल तीन अधिकारियों में से राज्य के डीजीपी (पुलिस बल प्रमुख) नियुक्त करने को सभी राज्यों के लिए अनिवार्य किया गया है, राज्य सरकार के अनुरोध पर आयोग द्वारा राज्य में डीजीपी (पुलिस बल प्रमुख) की नियुक्ति हेतु भी पैनल तैयार किया जाता है।

18. वार्षिक रिपोर्ट

आयोग द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाती है, जिसके साथ उन मामलों के बारे में, जिनमें आयोग का परामर्श स्वीकार नहीं किया गया, यदि कोई हो तो तत्संबंधी असहमति के कारणों को स्पष्ट करते हुए एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया जाता है। आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर भी उपलब्ध है।

19. राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन

भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों के बीच किसी औपचारिक संयोजन अथवा संबंध की व्यवस्था नहीं की गई है। 1999 से प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से पिछले कुछ वर्षों में अनौपचारिक संबंध प्रणाली विकसित हुई है। राष्ट्रीय सम्मेलन, समान हितों से संबंधित विचारों और सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए एक मंच मुहैया कराता है और इसने राज्य लोक सेवा आयोगों की कार्यप्रणाली में कुछ एकरूपता लाने के प्रयास किए हैं। ऐसे सम्मेलन, परिवर्तनीय सामाजिक-आर्थिक वातावरण एवं जनता की आशाओं तथा संवैधानिक दायित्वों के अनुरूप, आयोग के कार्य की प्रकृति में परिणामी परिवर्तनों पर चर्चा करने के लिए एक उपयुक्त मंच मुहैया कराते हैं।

20. प्रयोक्ताओं का उत्तरदायित्व

आयोग न्यूनतम संभावित समय में उचित, कुशल तथा निष्पक्ष चयन सुनिश्चित करने के लक्ष्य के प्रति वचनबद्ध है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, आयोग उम्मीदवारों से अपेक्षा करता है कि वे आवेदन पत्र भरने आदि के संबंध में प्रेस और आयोग की वेबसाइट पर आयोग के विज्ञापनों में निहित निर्देशों का ईमानदारी से पालन करें।

21. किससे संपर्क करें / सूचना कैसे प्राप्त करें

(i) सुविधा काउंटर :-

आयोग परिसर में एक 'सुविधा काउंटर' कार्यरत है जहां से आयोग से संबंधित किसी भी मामले के बारे में कोई भी जानकारी/स्पष्टीकरण सभी कार्य दिवसों में प्रातः10.00 बजे से सांय 5.00 बजे के मध्य व्यक्तिगत रूप से या दूरभाष सं. 011-23385271 या 011-23381125 या 011-23098543 से प्राप्त किया जा सकता है।

हेल्प लाइन -अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. /आ.क.व. /दिव्यांग(1800-118-711)

(ii) वेबसाइट :-

आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं, उनकी अधिसूचना, आवेदनों के ऑनलाइन पंजीकरण, ई-प्रवेश पत्र जारी करने, लिखित परीक्षा के परिणाम, व्यक्तित्व परीक्षण आदि की जानकारी आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.inपर भी उपलब्ध है।

(iii) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005:-

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जनसाधारण को सूचना प्रदान करने के लिए आयोग द्वारा केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और अपीलीय अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। उनके नाम, पदनाम, टेलीफोन नंबर और उनके कार्य क्षेत्र में आने वाली विषय वस्तु आयोग की वेबसाइटwww.upsc.gov.inपर उपलब्ध है।

शब्दावली

- **CS(P)- सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा**
- **IFoS- भारतीय वन सेवा**
- **IPS- भारतीय पुलिस सेवा**
- **IAS- भारतीय प्रशासनिक सेवा**
- **CPIO- केंद्रीय जन सूचना अधिकारी**
- **DGP(HoPF)- पुलिस महानिदेशक (पुलिस बल प्रमुख)**
- **ISTC- अल्पावधि अनुबंध सहित**
- **DPC- विभागीय पदोन्नति समिति**
- **SCM- चयन समिति की बैठक**
- **RID No- पंजीयन आईडी**